न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 29/2022 (पूर्व न्यायालय का)
115/2022 (इस न्यायालय का) दायर तारीख :– 01.04.2022

तहसीलदार, जोबनेर बनाम गोपाल लाल घासल (गौशाला अध्यक्ष) पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी डूंगरी

इस्तगासा जैर दफा 86 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा एवं श्री प्रभुदयाल डिसांनिया, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प ग्राम पंचायत हिंगोनिया में पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष इस्तगासा जैर दफा 86 आर0टी0एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी उपस्थित।

1. तहसीलदार जोबनेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत गैरसायल गोपाल लाल घासल (गौशाला अध्यक्ष) पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी डूंगरी तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 के विरूद्ध इस्तगासा निम्न प्रकार पेश किया कि ग्राम डूंगरी के आराजी खसरा नं0 56/1 रकबा 10.2045 है0 चारागाह भूमि है। गिरदावर हिंगोनिया एवं पटवार हल्का जोरपुरा सुन्दरियावास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार मौका फर्द दिनांक 29.11.2021 को राजस्व ग्राम डूंगरी के आराजी खसरा नं0 56/1 किस्म चारागाह में से दिनांक 28.11.2021 को बबूल के हरे 73 वृक्ष मौके पर कटे हुए पडे मिले। उक्त कटे पेडों के संबंध में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी ली गई तो उन्होनें अवगत कराया कि गौशाला अध्यक्ष गोपाल लाल घासल पुत्र मंगलाराम, जाति

27/6/23
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जाट निवासी डूंगरी मौके पर उपस्थित रहकर जेसीबी मशीन द्वारा कटाई करवाई गई है। मौके पर 73 पेडों को कब्जेराज लिया जाकर ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरीयवारा सरपंच कजोडमल वर्मा को सुपुर्द किया गया। गैर सायल का उक्त कृत्य आ0टी0ए0 एक्ट 84–86 के अन्तर्गत दण्डनीय है क्योंकि गैर सायल द्वारा उक्त पेड चारागाह भूमि में से बिना अनुमति काटे गये है। प्रतिवादी द्वारा नियमों का उल्लंघन कर बिना अनुमति के हरे वृक्ष चारागाह भूमि में से काटे गये है। अतः उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 86 के अन्तर्गत दण्डित किया जावे साथ ही जब्त शुदा पेडों की नियमानुसार निलामी के आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी गोपाल लाल की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ललित कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश कर अपना जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अप्रार्थी/गोपाल लाल घासल जो गौशाला समिति हिंगोनिया डूंगरी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त है एवं समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही करता आ रहा है जो स्वयं के हितार्थ कार्य नही कर गौवंश की सुरक्षा व रख रखाव हेतु कार्य करता आ रहा है तत्कालीन समय गोवंश मे खुरपका व मुंहपका रोग का संक्रमण फैल रहा था एवं पशु चिकित्सक की राय व गौशाला समिति के द्वारा गौवंश की सुरक्षार्थ लिये गये प्रस्ताव की पालना मे पशुओं की सुरक्षा हेतु सुखे व कटीले वृक्षों को हटाया गया था जो मौके पर ही पडे थे अप्रार्थी गोपाल ने स्वयं के लाभार्थ या बदनियती से पेडों को नही हटाया है। मात्र गौवंश मे फैल रहे संक्रमण रोग मुंह पका व खुर पका को रोकने के लिए पशु चिकित्सक की राय व समिति के प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की है।

3- पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी को मजमेआम में सुना गया। पत्रावली के अवलोकन एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी गोपाल ने स्वयं के लाभार्थ या बदनियती से पेडों को नही हटाया है। मात्र गौवंश मे फैल रहे संक्रमण रोग मुंह पका व खुर पका को रोकने के लिए पशु चिकित्सक की राय व समिति

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

के प्रस्ताव अनुसार पेडों को हटाया गया है। परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा राजकीय चारागाह भूमि से बिना अनुमति हरे वृक्षों को काटा जाना विधिविरूद्ध है।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार 73 पेड काटे गये है, जिसके 100 रू0 प्रति पेड की दर से 7300 रू0 दण्डित किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते है कि जप्तशुदा पेडों की लकडियों की सार्वजनिक नीलामी कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु 15 दिवस में न्यायालय में पेश करे। नीलामी के दौरान अगर इस प्रकिया में कोई व्यय जैसे कटे वृक्षों को नीलामी हेतु नीलामी स्थल तक वाहन खर्चा किया जाता है तो उसका व्यय अप्रार्थी गोपाल द्वारा वहन किया जाएगा। अप्रार्थी से दण्ड राशि 7300 रूपये वसूल कर राजकोष में जमा करवाए। अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि काटे गये वृक्षों के बदले में पांच गुणा पेड लगाये जाकर पटवारी हल्का को मौका दिखाकर फोटोग्राफी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

27/6/2023

(अरूण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर